

1 प्ररूप सं. 3गठ

[नियम 6 देखें]

विहित प्राधिकारी द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कख) के अधीन
विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

1. कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम और पता,
जिसके अंतर्गत टेलेक्स/फैक्स/फोन नं. है
2. कंपनी का स्थायी लेखा संख्यांक (पेन)
3. कंपनी के प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम
4. कंपनी के कारबार/कार्यकलाप की प्रकृति

(I) जैव प्रौद्योगिकी कारबार

(II) अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन किसी पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण/उत्पादन (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

भाग क

1. पिछले तीन वर्ष के दौरान कंपनी के पात्र उत्पादों का वार्षिक उत्पादन
2. कंपनी द्वारा ईप्सित वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रस्तावित उद्देश्य
3. क्या कारबार की प्रकृति कंपनी द्वारा ईप्सित वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित है
4. यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि क्या आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा वैज्ञानिक अनुसंधान को करने के लिए पर्याप्त है, आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं की प्रकृति के ब्यौरे
5. कंपनी के आंतरिक अनुसंधान और विकास केंद्र को विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अनुदत्त मान्यता की रजिस्ट्रेशन संख्या, तारीख और विधिमान्यता
6. क्या सहयोग और अनुसंधान और विकास सुविधा तथा लेखाओं की लेखापरीक्षा का उस सुविधा के लिए कोई करार किया गया है

भाग ख

1. निर्धारण वर्ष
2. पूर्व वर्ष
3. अनुसंधान और विकास सुविधा की अवस्थिति
4. वर्ष के दौरान पात्र उत्पादों का वार्षिक उत्पादन
5. व्यय के ब्यौरे: (लाख रुपए में)
 - अ. (i) भूमि
 - (ii) भवन
- आ. पूंजी व्यय:
 - (i) उपस्कर
 - (ii) अन्य
 - (iii) योग

इ. राजस्व व्यय:

(i) अनुसंधान और विकास से प्रत्यक्षतः संबंधित व्यय

(क)

(ख)

(ग)

योग

ई. अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र पर कुल व्यय (जिसके अंतर्गत भूमि और भवन नहीं है)

उ. निपटान की गई/अंतरित आस्तियों के ब्यौरे

मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्वोक्त ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव के हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान: